निग०

पत्रांक 3234 / आ0प्र0

महत्वपूर्ण

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

व्यास जी,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
सहरसा, सुपौल, पश्चिमी चम्पारण, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, पटना, नालन्दा, शिवहर, अररिया, गोपालगंज, शेखपुरा, खगड़िया, भागलपुर, मधेपुरा, पूर्णियां, समस्तीपुर, कटिहार एवं नवादा।

पटना–15, दिनांक– 4/9/14

विषयः **बाढ़ 2014 में राहत कार्यों के त्वरित एवं सुचारू रूप से कियान्वयन के संबंध में।**

महाशय,

कृपया उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्रांक **3061/आ0प्र0, दिनांक–25.08.2014 एवं ज्ञापांक EOC-1/कैम्प, दिनांक 28.08.14** का स्मरण किया जाय, जिसके माध्यम से बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत कार्यों को तीव्र गति से चलाने का निदेश दिया गया था। दिनांक 03.09.2014 को बाढ़ पीड़ितों के बीच चलाए गए राहत कार्यों की विभागीय समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि बाढ़ राहत कार्यों में तीव्रता लाने की आवश्यकता है। बाढ़ से मृत लोगों के आश्रितों को अनुग्रह अनुदान को अधिकतम दो–तीन दिनों में वितरण करने का निदेश दिया गया था, किन्तु अभी तक **दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, पटना, नालन्दा, शिवहर, गोपालगंज, शेखपुरा, खगड़िया, मधेपुरा एवं नवादा** में अनुग्रह अनुदान का पूर्ण वितरण नहीं किया गया है। अतएव दो दिनों के भीतर अनुग्रह अनुदान का भुगतान पूर्ण कर लिया जाय।

2. बाढ़ पीड़ित जनता के बीच मुफ्त साहाय्य (GR) वितरण का कार्य **मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर, शेखपुरा, भागलपुर, पूर्णियां एवं नवादा** में आरम्भ नहीं हुआ है, जबकि इन जिलों के द्वारा बाढ़ प्रभावित आबादी का प्रतिवेदन भेजा विभाग को भेजा गया है एवं इन्हें मुफ्त साहाय्य वितरण हेतु खाद्यान्न का आवंटन भी उपलब्ध कराया जा चुका है। इसी प्रकार जिन जिलों में मुफ्त साहाय्य का वितरण आरम्भ हो गया है, वहाँ भी वितरण का कार्य अत्यन्त धीमा है। **सहरसा द्वारा 2.81 लाख** प्रभावित आबादी के विरूद्ध अभी तक **मात्र 1072 क्वीं0; पश्चिमी चम्पारण द्वारा प्रभावित आबादी 1.84 लाख** के विरूद्ध **मात्र 1284 क्वीं0; दरभंगा द्वारा 3.52 लाख** प्रभावित आबादी के विरूद्ध **मात्र 2214 क्वीं0; पटना द्वारा 1.01 लाख** प्रभावित आबादी के विरूद्ध **मात्र 771 क्वीं0** एवं **नालन्दा द्वारा बाढ़ प्रभावित 7.98 लाख** आबादी के विरूद्ध **मात्र 15992 क्वीं0** खाद्यान्न का वितरण किया गया है। अतएव पंचायत स्तर पर राहत वितरण टीमों का गठन कर लिया जाय एवं बाढ़ग्रस्त गाँवों को चिन्हित करते हुए

ग्रामीण विकास विभाग द्वारा पूर्व से तैयार पारिवारिक सूची के आधार पर तीव्र गति से **GR वितरण कार्य 15 दिनों के भीतर पूर्ण कर लिया जाय।**

3. समीक्षा के क्रम में पाया गया कि, यद्यपि **सहरसा, सुपौल, मुजफ्फरपुर, नालन्दा, शेखपुरा, भागलपुर, सीतामढ़ी एवं नवादा** जिलो द्वारा बाढ़ आपदा के कारण बड़ी संख्या में हुई गृह क्षति प्रतिवेदन विभाग को भेजा गया है, किन्तु उनके द्वारा गृह क्षति अनुदान का वितरण अथवा राशि की अधियाचना नहीं की गई है। गृह क्षति अनुदान में **सहरसा एवं दरभंगा** जिलों को गृह क्षति अनुदान हेतु उनके द्वारा अधियाचित राशि उपलब्ध करा दी गई है, किन्तु अभी तक इन जिलों में गृह क्षति अनुदान का भुगतान आरम्भ नहीं हुआ है। **अतएव शीघ्र गृह क्षति का आकलन कराकर राशि की अधियाचना की जाय एवं गृह क्षति अनुदान का भुगतान त्वरित गति से पूर्ण कराया जाय।**

4. पशु क्षति अनुदान हेतु भी **नालन्दा, गोपालगंज, सहरसा, सुपौल एवं नवादा** जिलों से राशि की अधियाचना विभाग को अप्राप्त है, जबकि इन जिलों द्वारा पशु क्षति का प्रतिवेदन विभाग को भेजा गया है। इसी प्रकार फसल क्षति का त्वरित आकलन करते हुए कृषि विभाग के माध्यम से अधिकतम दो–तीन दिनों में फसल क्षति हेतु राशि की अधियाचना भेजने का निदेश दिया गया था, किन्तु यह भी अभी तक विभाग को अप्राप्त है। अतएव शीघ्र पशु क्षति एवं फसल क्षति का आकलन करते हुए राशि के संबंध में विभाग को अधियाचना भेजी जाय।

बाढ़ आपदा के दौरान बाढ़ पीड़ितों को शीघ्र राहत उपलब्ध कराना एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक एवं मानवीय कर्त्तव्य होता है। राहत कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही होने से कई प्रकार की प्रशासनिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। अतएव निम्नांकित प्रपत्र में दैनिक आधार पर उपर्युक्त राहत कार्यों का प्रतिवेदन विभाग को प्रतिदिन उपलब्ध कराया जाय :–

| क0 | जिले का नाम | प्रभावित प्रखण्डों का नाम | प्रखण्डवार GR वितरण की मात्रा | मृत लोगों की संख्या | कुल वितरित अनुग्रह अनुदान की संख्या | मृत पशुओं की संख्या | वितरित पशु क्षति अनुदान | प्रतिवेदित क्षतिग्रस्त गृह की संख्या | वितरित गृह क्षति अनुदान |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

विश्वासभाजन

94/9

(व्यास जी)

प्रधान सचिव